HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2144/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2819/2025

Lekhraj @ Lakkha, Son Of Radhakishan, Aged About 35 Years, Resident Of Ganeshpura, Police Station Kekri Sadar, District Ajmer. (At Present In Central Jail, Ajmer)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Kumar Sharma Mr. Sarthak Choubey Mr. Jitendra Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

24/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **लेखराज उर्फ लक्खा** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–2, केकड़ी, जिला अजमेर** द्वारा फौजदारी सैशन प्रकरण संख्या–**42/2023(23/2018) राजस्थान राज्य** बनाम **लेखराज उर्फ लख्खा** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **08.10.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी विचारण के दौरान करीब 5 माह अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर आजाद रहा है। वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 08.10.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित परिवादी व अन्य चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, अतः अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि बाबत् कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है तथा प्रस्तुत अपील में उसके दोषमुक्त होने तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की पूरी संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **24.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **लेखराज उर्फ लक्खा पुत्र श्री राधाकिशन** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /27